

Q-3: Discuss the various function of Insurance.

बीमा के विभिन्न कार्यों का विवेचन कीजिए।

Ans - बीमा अधिनियम, 1938 में बीमा के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है (1) प्रधान कार्य तथा (2) गौण कार्य। प्रधान कार्यों के अन्तर्गत (i) निश्चितता प्रदान करना यानि व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना (ii) मानसिक शान्ति तथा सुरक्षा प्रदान करना (iii) व्यापार में सहायता प्रदान करना। गौण कार्यों के अन्तर्गत (iv) वाणिज्य, उद्योग और समुदाय को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना, (v) सार्व के आधार के रूप में सेवा करना एवं (vi) हानियों को कम करने में योगदान देना इत्यादि हैं। अतः बीमा की उपरोक्त प्रकृति का अनुमान लगाकर निम्न प्रकार से इसके कार्यों का वर्णन कर सकता है।

(i) व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना - बीमा का मूल एवं प्रथम कार्य प्रतिकूल घटनाओं की अनिश्चितता को कम करना तथा निश्चितता को बढ़ावा देना है। मनुष्य का जीवन जोखिमों से भरा है और वह यह नहीं जानता है कि कब आग लगने से, चोरी से, बाढ़ से, या अन्य अनेक प्रकार की प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित घटना से उसकी सम्पत्ति को हानि या क्षति हो जाये या दुर्घटना होने से उसकी शारीरिक या साम्पत्तिक क्षति हो जाये। ऐसी परिस्थितियों में अग्निबीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, संधमारी बीमा, मोटर बीमा आदि अनेक प्रकार के सामान्य बीमा की पॉलिसियाँ ऐसे व्यक्ति को जो बीमाधारक होता है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और वह कुछ सीमा तक भविष्य में होने वाली हानियों के प्रति निश्चित हो सकता है कि सम्पूर्ण क्षति उसको स्वयं वहन नहीं करनी पड़ेगी।

(ii) मानसिक शान्ति तथा सुरक्षा प्रदान करना - व्यक्ति को किसी भी कार्य या व्यापार में पूंजी लगाने समय हमेशा ही यह डर रहता है कि कहीं व्यापार या कार्य में हानि होने से उसकी पूंजी ही न डूब जाये। इसी डर से बहुत से व्यक्ति अपना कार्य या व्यापार प्रारंभ ही नहीं करते हैं। परन्तु ऐसे समय में यदि उन्हें इस बात का आश्वासन मिल जाये कि वे निश्चिन्त होकर अपना कार्य या व्यापार करें और जब भी कभी हानि होगी तब उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जायगी, तब इससे उनको मानसिक शान्ति तथा सुरक्षा प्राप्त होगी और वे दुगुने उत्साह से कार्य कर सकेंगे। इस प्रकार वचन केवल बीमा ही दे सकता है जिससे बीमाधारक निश्चिन्त होकर मानसिक शान्ति तथा सुरक्षा के साथ अपना कार्य या व्यापार करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

(iii) व्यापार में सहायता प्रदान करना — बीमा जोरिमों को व्यापार के तरीके से वितरित करने का कार्य करता है। किसी बड़ी घटनाओं का बीमा कराने वाले का पूर्ण समूह वास्तव में ऐसे व्यक्तियों की संभाव्य हानियों को आपस में बाँट लेता है जो हानियों के लिए प्रिमियम के रूप में धन-राशि कोष में जमा करता है। आधुनिक उद्योगों में भवन, मूल्यवान मशीनरी, प्लाण्ट और उपकरणों के रूप में भारी पूंजी लगी होती है। इस पूंजी की अग्नि, दुर्घटना और दूसरे खतरों (प्राकृतिक एवं अन्य आपदाओं) के कारण क्षति या हानि होने की संदेह सम्भावना बनी रहती है। बीमा बसके लिए आनश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि बीमा की सहायता प्राप्त न होती उद्योगपतियों और व्यवसायियों की पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग इन आक्समिकताओं के कारण हुई हानियों को पूरा करने में ही लग जाये। बीमा न केवल उद्योगों में लगी पूंजी की सुरक्षा करता है वरन् उद्योगों तथा व्यापार की आगे बढ़ाने तथा विकास करने के लिए पूंजी भी प्रदान करता है।

(2) अप्रत्यक्ष या गौण कार्य (Indirect function) — प्रत्यक्ष कार्य के मिले परिणामों को गौण कार्य कहते हैं। वही कारण इसे परिणामी कार्य भी कहा जाता है। ये कार्य निम्नलिखित हैं—

(i) वाणिज्य, उद्योग और समुदाय की आर्थिक स्थिरता प्रदान करना — व्यापार में पूंजी का काफी महत्व है। बीमा व्यापार में कई प्रकार से पूंजी प्राप्त करवाता है। लेकिन एक मध्यकर आग न केवल भवन, प्लाण्ट और मशीनरी को ही क्षति या हानि पहुँचाती है वरन् उत्पादन में भी विघ्न डालती है तथा इसके साथ ही पारिणामिक हानियाँ भी होती हैं। उत्पादन रुकने के कारण लाभ की हानि होती है, बेकारी फैलती है तथा व्यापारिक समुदाय को व्यापार की हानि होती है। इस प्रकार अग्नि की प्रत्यक्ष घटना केवल आर्थिक हानि ही उत्पन्न नहीं करती है वरन् पूरे समुदाय पर प्रभाव डालती है। अग्नि तथा इंजिनियरिंग बीमा में "लाभ की हानि" के बीमा का प्रारूप इस प्रकार से तैयार किया जाता है जिससे विभिन्न पारिणामिक हानियों के विरुद्ध भी रक्षा की जा सके। जहाँ अग्नि बीमा केवल मूल क्षतियों की पूर्ति करता है वहाँ "लाभ की हानि" का बीमा शुद्ध लाभ, मजदूरी, कर और दूसरे स्थायी व्ययों की पूर्ति करता है और व्यापार के विघ्न के समय काम की बड़ी हुई कीमते प्रदान करता है। इस प्रकार "लाभ की हानि" का बीमा तथा अन्य तरह के बीमा उद्योगों में स्थिरता लाते हैं तथा आर्थिक अस्थिरता को समाप्त करते हैं जिससे प्रत्यक्ष रूप में समुदाय को लाभ होता है। इसलिए बीमा देश में आर्थिक संतुलन बनाये रखने में सहायता करने वाला माना जाता है।

(ii) सार्व के आधार के रूप में सेवा करता — आजकल उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार के संगठन पुरी तरह से अपने कार्यों के लिये बीमा पर निर्भर हैं क्योंकि कोई भी बैंक या विविध संस्था किसी भी सम्पत्ति पर तब तक धन उधार नहीं देती है जब तक कि उसका विभिन्न खतरों से सम्भावित हानि या क्षति के विरुद्ध बीमा नहीं करा दिया जाता है। उदाहरणार्थ - सड़की पर अधिकतर यातयात गाड़ियाँ आर्थिक सहायता के सहारे चलाई जाती हैं जो कि बैंकों और भाड़ा-क्रय कम्पनियों के द्वारा ही जाती हैं। अन्त में गाड़ी चलाने वालों की गलतियों के विरुद्ध भाड़ा-क्रय और आर्थिक गारंटी जारी करके बीमा भाड़ा क्रय कम्पनी तथा बैंक दोनों की आर्थिक सहायता करता है। इसी प्रकार भवन निर्माण हेतु ऋण देने के पूर्व ऋणदाता भवन का बीमा करवाता है। इस प्रकार बीमा व्यावसायिक कार्य दृक्षता बढ़ाने का भी कार्य करता है।

(iii) हानियों को कम करने में योगदान देना — हानियों को कम करने में बीमा का बहुत बड़ा योगदान होता है। वास्तव में बीमाकर्ता द्वारा ग्रहण किया गया दर निर्धारण का तरीका हानियों को कम करने के लिए बनाया गया है। उदाहरणार्थ - अग्नि बीमा में यदि खतरे के अवसर अधिक होते हैं तो वहाँ अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाता है, जैसे - घाटिया निर्माण। लेकिन यदि जोखिमों को कम करने के साधन उपलब्ध होते हैं तो वहाँ पर छूट प्रदान की जाती है। जैसे - आग बुझाने के उपकरणों की लगाना। बीमाकर्ता स्वयं भी ऐसे अभिकरणों तथा सस्थाओं से जुड़े रहते हैं जो हानि की सुरक्षा में लगे होते हैं। इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति की वचत तथा उत्पादकता में बृद्धि होती है।

बीमा का सबसे प्रमुख कार्य किसी व्यक्ति को होने वाली हानि या क्षति को बाँट कर ऐसे व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि कि एक व्यक्ति को हुई हानि या क्षति, बीमा के कारण अनेक - व्यक्तियों में बाँट जाती है परन्तु ऐसी हानि या क्षति पूर्णतया समाप्त नहीं होती, केवल ऐसी व्यक्ति पर हानि या क्षति से पड़ने वाला बोझ काफी सीमा तक कम ही जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बीमा हुई हानि समाप्त नहीं करता वरन्, एक अनिश्चित बड़ी हानि को एक निश्चित कम हानि में बदल देता है।